PRESS MONITOR

Deshbandhu, Delhi
Saturday, 2nd July 2022; Page: 11
Width: 13.48 cms; Height: 15.10 cms; a4; ID: 39.2022-07-02.21

भारत-इंग्लैंड एफटीए सीआईएबीसी ने एक समान अवसर देने की मांग की

नई दिल्ली, 1 जुलाई (देशबन्धु)। भारत और इंग्लैंड के बीच ट्रेड वार्ता के आगे बढ़ने के बीच कंफैडरेशन आफॅ इंडियन अल्कोहोलिक बेवरेज कंपनीज (सीआईएबीसी) ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि वे सुनिश्चित करें कि इंग्लैंड नॉन टैरिफ मैजर्स (ह्वञरू) वापस ले। जिसका उपयोग इंग्लैंड भारतीय उत्पाद को उनके बाजार में प्रवेश करने से रोकने के लिए करता है।

सीआईएबीसी के डायरेक्टर जनरल विनोद गिरी ने कहा कि कोई एफटीए या विदेशी कारोबारी अनुबंध यह जरूर सुनिश्चित करे कि सभी को एक समान अवसर मिलेंगे और सभी के लिए नियम एक होंगे। कोई भी पक्ष किसी नियम का दुरूपयोग अपने हित के लिए नहीं करेगा। जब तक इंग्लैंड भारतीय व्हीस्की के लिए मिनिमम मैटरूयूसन रिक्यारमेंट के नियम को नहीं हटाता है। उस समय तक इस क्षेत्र में लाभ केवल इंग्लैंड के पक्ष में रहेगा। इससे भारत को कोई फायदा नहीं होगा। भारत दुनिया में सबसे अधिक व्हीसकी उत्पादन करने वाला देश है। लेकिन इस नियम से उसकी व्हीसकी इंग्लैंड के बाजार में पहुंच ही नहीं पाएगी।

सीआईएबीसी ने कहा कि इंग्लैंड व्हीस्की के लिए तीन साल की मैज्युरिटी के नियम के सहारे गैर नैतिक तरीके से अपनी व्हीस्की इंडस्ट्री को प्रतिस्पर्धा से बचाव देता है। भारत में सबसे अधिक व्हीस्की बनती है। लेकिन एक सच यह भी है कि हर साल भारत से निर्यात होने वाले 70 लाख व्हीस्की केशेस में से 10 हजार केशस भी इंग्लैंड में नहीं पहुंच पाती है। इसका मुख्य कारण उसका तीन साल का नियम है। अगर उसके नियम को माना जाए तो इसके बनाने के दौरान उससे हवा में चले जाने वाले पदार्थ की वजह से भारतीय उत्पादकों को 30 प्रतिशत का नुकसान होता है। जिसकी वजह से वह इस नियम का अनुपालन कर ही नहीं सकते हैं।